न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(सुबे सिंह यादव,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 87/2017

इन्द्रजीत सिंह निवासी प्लाट नं0 12 लाजवंती भवन सिविल टोंक राज0

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक

–प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 10.01.2018**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 27.10.2017 को प्रेषित कर अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

मेरे द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 18.08.2017 को जरिये रजि0 ए0डी डाक मजबूरन आपको प्रेषित किया गया था,जो कि आपके कार्यालय मे दिनांक 21.08.2017 को रिसिव किया गया है। यह सूचना मुझे डाक विभाग टोक ने जरिये ए0डी0 रसीद दी है। उक्त वर्णित मेरे आवेदन की प्रति पुनः सेवामे मे इस आर.टी.आई आवेदन के साथ संलग्न है।

कृपया नियमानुसार सूचना के अधिकार तहत उक्त मेरी शिकायत पर आप द्वारा की गई कार्यवाही पत्रावली व नोटशीट सहित दिलाने का कष्ट करे व मार्किग के नियम भी दे, अब कृपया संलग्न प्रदर्श–2 का अवलोकन करे और मुझे पत्र मे वर्णित प्रार्थिया के नाम से इन्द्रजीत सिंह ने एक आवेदन दिनांक 05.05.2017 को प्रस्तुत किया आदि की प्रमाणित प्रति भी आर.टी.आई के तहत दिलाने का कष्ट करे और पत्र मे यूज की गई भाषा पर भी टिप्पणी करने का कष्ट करे।

अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुऐ। लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक को पत्र कमांक 2068 दिनांक 18.12.2017 द्वारा जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी टोंक ने पत्र कमांक 1064 दिनांक 03.01.2018 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी को पत्र कमांक 1000 दिनांक 30.11.2017 से सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवा दी गई है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक